न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जसवंतपुरा (जिला–जालोर)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमति पुष्पा कंवर सिसोदिया आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण सख्या –01/2018

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटस
मदनकंवर पुत्री रणसिंह जाति राजपूत निवासी सीकवाडा तहसील जसवंतपुरा जिला–जालोर		1. चन्दनसिंह पुत्र रणसिंह जाति राजपूत निवासी सीकवाडा 2. डुंगरसिह पुत्र रणसिंह जाति राजपूत निवासी सीकवाडा 3. मु0 दरियाकंवर पत्नी रणसिंह जाति राजपूत निवासी सीकवाडा 4. रूपसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी सीकवाडा 5. भगवानसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी सीकवाडा 6. उप तहसीलदार एवं उपपंजीयक अधिकारी, रामसीन 7. ग्राम पंचायत सीकवाडा जरिये सचिव ग्राम पंचायत सीकवाडा

म्यूटेशन अपील बनाराजगी म्यूटेशन सं. 257 दिनांक 10.11.2003 ग्राम पंचायत सीकवाडा द्वारा स्वीकृत

निर्णय दिनांक : 27.2.2020

अपीलांट द्वारा उपरोक्त अनवान के प्रकरण में म्यूटेशन अपील बनाराजगी म्यूटेशन सं. 257 दिनांक 10.11.2003 पेश की गई, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की पुश्तैनी पूर्वाधिकारियों से प्राप्त पीढियान से कब्जे व आधिपत्य की कृषि भूमि सरहद मौजा सीकवाडा में पुराने खसरा नं. 646 रकबा 9 बिघा 7 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल स्थित है, जिसके रिसेटलमेंट के दौरान नवीन खसरा नं. 1147 रकबा 1.48 है0 किस्म बारानी प्रथम सृजित किये गये। उक्त आराजी अपीलांट व रेस्पोडेंटस सं. 1 व 2 के पिता एवं 3 के पति पूर्वाधिकारी रणसिंह वल्द रावतसिंह कौम राजपूत सा0देह खातेदार के नाम कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज थी व है। आराजी खसरा नं. 1147 अपीलांट के पूर्वजों से प्राप्त पुश्तैनी आराजी है। आराजी खसरा नें. 1147 रकबा 1.48 है0 अपील में वादग्रस्त आराजी है, जिसे वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया गया है। अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 1 से 3 तक एक ही परिवार के सदस्य है, अपीलांट व रेस्पोडेंटस सं. 1 से 2 सगे भाई बहिन है एवं रेस्पोडेंट सं. 3 अपीलांट की माता है। अपीलांट के दादा रावतसिंह के पुत्र अपीलांट के पिता रणसिंहजी है। अपीलांट के दादा व पिता का देहान्त हो चुका है। रणसिह पुत्र रावतसिंह के जाईन्दा पुत्र/पुत्री अपीलांट व रेस्पोडेंटस सं. 1 व 2 एवं रेस्पोडेंटस सं. 3 पत्नी उत्तराधिकारी व वंशज है। जिससे अपीलांटस के पिता रणसिह की जायदाद में अपीलांटस व रेस्पोडेंटस सं. 1 से 3 तक का समान हक व अधिकार है। अपीलरांट व रेस्पोडेटस सं. 1 से 3 तक का समान हक व अधिकार है। अपीलांट व रेस्पोडेंटस सं. 1 से 3 तक का अविभाजित संयुक्त हिन्दु परिवार है एवं हिन्दु सहदायिकी से शासित होता है। अपीलांटस व रेस्पोडेंटस सें. 1 से 3 तक संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है एवं संयुक्त रूप से स्वर्गीय रणसिंह पुत्र रावतसिंह से प्राप्त पुश्तैनी जायदाद का काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। अपीलाधीन आराजी के खातेदारी हक वक्त प्रथम सेटलमेंट संवत 2010 में अपीलांट के दादा रावतसिंह वल्द खुशालसिंह कौम राजपूत सा0 देह प्राप्त हुए। अपीलांट के दादा रावतसिह से वादग्रस्त आराजी अपीलांट

उपखण्ड अधिकारी,
जसवन्तपुरा (जालोर)

Scanned by CamScanner

के पिता रणसिह को प्राप्त हुई । अपीलाधीन आराजी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अपीलांट व रेस्पोडेंटस सं. 1 व 2 के पिता एवं रेस्पोडेटस सं. 3 के पति रणसिंह वल्द रावतसिह कौम राजपूत सा0 देह खातेदार जीवनकाल तक बदस्तुर दर्ज रही । स्वर्गीय रणसिंह के देहान्त के पश्चात उनके वारिसान अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 1 से 3 तक के नाम विवादित जायदाद राजस्व रेकर्ड में दर्ज होनी थी किन्तु रेस्पोडेटस सं. 1 से 3 तक द्वारा अपीलांट के पीठ–पीछे बाले बाले भाई बहिन के रिश्ते का नाजायज फायदा उठाकर अवैधानिक तरीके से रणसिंह वारिसान के नाम म्यूटेशन की कार्यवाही हुई तब रेस्पोडेंट सं. 7 ग्राम पंचायत द्वारा अपीलरांट हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मृतक ररावतसिह पुत्र खुशालसिंह के पुत्र राणसिंह की प्रथम श्रेणी की वारिस होने के बावजूद भी अपीलांट को कोई सूचना या नोटिस दिये बगैर अपीलांट की पीठ पीछो गलत व अवैध कार्यवराही कर अपीलाधीन आराजी में अपीलरांट का नाम मृतक राणसिंह के वारिसान के रूप में दर्ज नहीं कर रेस्पोडेंट सं. 1 से 3 तक के नाम अपीलाधीन आराजी में अपीलाधीन म्यूटेशन सं. 257 दर्ज कर दिनांक 10.11.2003 स्वीकृत कर दिया।अपीलांट अनपढ व अशिक्षित महिला है। आज से लगभग दो माह पूर्व अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर काश्त कार्य कर रही थी। तब रेस्पोडेंटस सं. 1 से 3 तक आए और अपीलांट को एलानिया धमकी दी कि यह जमीन हमाने नाम से दर्ज है। जमीन खाली करके कब्जा हमें सौंप दो। नही तो हम तुम्हें इस जमीन से जबरदस्ती बेदखल कर देंगे या इस जमीन को बैचान कियी अन्य के नाम कर देंगे। इस पर अपीलांट ने तहसील कार्यालय से राजस्व रेकर्ड का पता किया व नकले मांगी उसके पश्चात रेस्पोडेंट सं. 1 से 3 तक द्वारा षडयंत्र रचकर अवैधानिक तरीके से अपीलांट के हम व स्वामित्व की पुश्तैनी जायदाद से वंचित करने की बदनियति से अपीलाधीन जायदाद के बिना हक व अधिकार के राजस्व रेर्कड में नाम दर्ज होने का गलत व नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेंट सं. 4 व 5 को बैचान दस्तावेज दिनांक 16.10.2017 को उपपंजियक रामसीन में पंजियन करवा दिया जो गलत बेचान किया है। अपीलांट ने म्यूटेशन सं. 257 की प्रमाणित नकलें मांगी, जो अपीलांट को दिनांक 28.12.2017 को प्राप्त हुई। अपीलाधीन म्यूटेशन सं. 257 दिनांक 10.11.2003 से व्यथित होकर यह अपील पेश की जा रही है, जिसे स्वीकार की जाकर अपीलाधीन म्यूटेशन सं. 257 दिनांक 10.11.2003 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलाधीन आराजी में स्वर्गीय रणसिंह वल्द रावतसिह यानि अपीलांट के पिता की आराजी में अपीलांट का नाम दर्ज करवाने का आदेश फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस द्वारा उक्त म्यूटेशन अपील के साथ अपीलांट के द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत पेश किये गए प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया का कथन सही है कि प्रार्थीया ने उपरोक्त अनवान के एक म्यूटेशन अपील म्यूटेशन सं. 257 दिनांक 10.11.2003 के संबंध में पेश की है। नवीन खसरा नं. 1147 रकबा 1.48 है0 किस्म बारानी प्रथम की आराजी जिसके पुराने खसरा नं. 646 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा रहे, उपरोक्त आराजी राजस्व अभिलेख में कभी भी प्रार्थीया के नाम दर्ज नही रही । उक्त आराजी के संबंध में ग्राम पंचायत सीकवाडा द्वारा जो नामांतरकरण सं. 257 दिनांक 10.11.2003 को स्वीकृत किया गया, वह सही एवं प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत ही स्वीकृत किया गया। अपीलांट का यह कथन गलत है कि रेस्पोडेंट ने अपीलांट को दो माह पूर्व धमकी दी, जबकि वास्तविकता यह कि रेस्पोडेंट ने कभी भी प्रार्थीया को काई भी धमकी नहीं दी। प्रार्थीया का यह कथन गलत है कि प्रार्थीया का अपीलाधीन म्यूटेशन की जानकारी दिनांक 10.11.2017 के ही हुई जबकि उक्त अपीलाधीन म्यूटेशन का ज्ञान प्रार्थीया को उक्त दिनांक से काफी समय पूर्व ही हो चुका था। प्रार्थीया का यह कथन भी गलत है कि उसको उक्त म्यूटेशन की नकलें दिनांक 28.12.2017 को प्राप्त हुई। अपीलाधीन आराजी में प्रार्थीया का पुश्तैनी कब्जाकाश्त नहीं है एवं उक्त आराजी में प्रार्थीया का पुश्तेनी हक अधिकार या स्वामिन्व भी नहीं है। अपीलधीन म्यूटेशन की जानकारी प्रार्थीया को शुरू से ही है और ग्राम पंचायत सीकवाडा द्वारा उक्त म्यूटेशन सही एवं उचित रीति से एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किया है। अपीलाधीन म्यूटेशन की स्वीकृति की दिनांक से अपील पेश करने में हुई देरी का प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के आधार कंडोन नहीं किया जा सकता है। अपील पेश करने में हुई देरी को ठोस व मजबूत कानूनी आधारों पर ही कंडोन किया जा सकता है, किसी अन्य अराधार पर नहीं। प्रार्थीया ने इस पद में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि जब उसे अपीलाधीन म्यूटेशंन की जानकरी कथित रूप से दिनांक 10.11.2017 को ही हेा चुकी थी तो अपीलांट ने इसकी नकल दिनांक 28.12.2017 को अर्थात लगभग 48 दिनो बाद क्यों प्राप्त की? प्रार्थीया ने उक्त अपील जानबूझ कर एवं लापरवाही पूर्वक कानून द्वारा निर्धारित समय के पश्चात के पेश की है, जिससे अपीलांट की अपील कालातीत होने से खारिज होने से खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे। प्रार्थीया ने श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय जसवंतपुरा के न्यायालय में एक राजस्व वाद सं. 27/2017 बअ्नवान वादीया मदनकंवर बनाम चंदनसिंह वगैरा बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है, जिस पर दिनांक 13.10.2017 लिखी हुई है और उक्त वादपत्र के अभिवचनों से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि उक्त अपीलाधीन म्यूटेशन की जानकारी प्रार्थीया को उस दिन अर्थात दिनांक 13.10.

उपखण्ड अधिकारी,
जसवन्तपुरा (जालोर)

Scanned by CamScanner

2017 को भी हो चुकी थी, इसके उपरांत भी प्रार्थीया ने यह म्यूटेशन अपील दिनांक 4.1.2018 का माननीय न्यायालय में पेश की है और उक्त देरी का कोई भी कारण प्रार्थीया ने अपनी म्यूटेशन अपील या धारा 5 मर्यादा अधिनियम के इस प्रार्थना पत्र में वर्णित नही किया है। अपीलांट ने सक्षम दीवानी न्यायालय में एक दीवानी मूल वाद सं. 105/2017 बअनवान वादीया मदनकंवर बनाम चंदनसिंह वगैरा बाबत निरस्त व शून्य घोषित करने दस्तावेज बेचान खातेदारी हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है, जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त करने की एवं उक्त म्यूटेशन आदि के तथ्यों की जानकारी दिनांक 24.10.2017 को होना दर्शाया है। जब प्रार्थीया ने राजस्व रेकर्ड की नकलें दिनांक 24.10.2017 को प्राप्त कर ली थी तो उसके उपरांत भी प्रार्थीया ने यह म्यूटेशन अपील दिनांक 4.1.2018 को माननीय न्यायालय में पेश की है और उक्त देरी का कोई स्पष्ट कारण उक्त म्यूटेशन अपील में वर्णित नहीं किया है। अपीलांट को अपीलाधीन आराजी को रेस्पोडेंट सं. 4 व 5 द्वारा खरीदने की भी जानकारी उसी दिन को ही थी। उक्त खरीद के बाद अपीलांट ने रेस्पोडेंट सं. 4 व 5 से नाजायज रूप से 5 लाख रूपये की मांग की थी और नही देने पर उनके विरूद्ध प्रकरण दर्ज करवाने की धमकी दी थी। उक्त रूपये नही देने पर प्रार्थीया ने रेस्पोडेंट के विरूद्ध झुठे प्रकरण दर्ज करवाये है।अतः प्रार्थीया की अपील व धारा 5 मर्यादा अधिनियम का यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं कालातीत होने के कारण खारिज फरमावें और अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन नहीं करावें।

रेस्पोडेंट अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मर्यादा अधिनियम पर अपनी बहस सुनाई व बहस पर मनन व प्रकरण के अवलोकन के आधार पर उक्त म्यूटेशन सं 257 दिनांक 10.11.2003 को स्वीकृत किया गया था, जिसमें रणसिंह वल्द रावतसिंह के फौत होने पर उनके वारिसान चंदनसिंह, डूंगरसिंह पि0 रणसिंह, दरियाकंवर धर्मपत्नि रणसिह कौम राजपूत सा0 देह खातेदार दर्ज किया गया था। तत्पश्चात उक्त खातेदार ने आराजी खसरा नं. 1147 को रूपसिंह भगवानसिंह पि0 गुमानसिंह कौम राजपूत को बेचान कर दिया, जो नामांतरकरण सं. 885 दिनांक 6.11.2017 के तहत राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद क़िया गया। प्रार्थीया को उक्त नामांतकरण सं. 885 की जानकारी होने पर तहसील कार्यालय से नकलें प्राप्त की गई और तत्पश्चात उक्त अपील पेश की । प्रार्थीया द्वारा दिनांक 10.11.2003 के नामांतरकरण सं. 257 पर उस समय से लेकर दिनांक 6.11.2017 तक उक्त म्यूटेशन सं. 257 की जानकारी होना प्रतीत होता है तथा प्रार्थीया ने मर्यादा अधिनियम धारा 5 पर डीले का विशेष कारण स्पष्ट नहीं किया, केवल प्राकृतिक न्याया के सिद्धान्तों के आधार पर उक्त अपील को पेश करने में हुई देरी को कंडोन किया जाना न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता है। अतः उक्त अपीलांट का प्रार्थना पत्र बाबत डिले कंडोन करने अंतर्गत धारा 5 मर्यादा अधिनियम अस्वीकार किया जाता है।

अतः उक्त अपील म्यूटेशन अपील बनाराजगी म्यूटेशन सं. 257 दिनांक 10.11.2003 अंतर्गत धारा 5 मर्यादा अधिनियम के आधार पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.2.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमती पुष्पाकंवर सिसोदिया)
उपखण्ड अधिकारी जसवंतपुरा

उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा (जालोर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Kanwar Sisodiya
Date: 2020.03.18 15:56:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: